

14.10.19

पञ्जावली पेश हुयी | विद्वान

अधिवक्ता वादी अनुपस्थित आये | न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगावायी गयी फिर भी न तो वकील/प्रतिवागण उप. ड्यै। और न ही अधिवक्ता वादी उप. ड्यै।

अतः पञ्जावली आदेश 9 नियम 3 अंतर्गत सीपीसी. (अदम पेट्टी, अदम हापिरी) खारिज की जाती है। पञ्जावली केसल कुमार हे नम्बर से अम की जाकर दाखिल करार हो।

कुले न्यायालय में हुनाया गयी।

- पंजा